समाजशास्त्र विभाग

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सर्टिफिकेट कोर्स – महिला सशक्तिकरण

(Certificate course in Women Empowerment)

"लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जाग्रत होना आवश्यक है"–

पं.जवाहरलाल नेहरू

महिला सशक्तिकरण भौतिक आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्म विश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण से महिलायें शक्ति शाली बनती हैं। समाज व परिवार में अपने फैसलें स्वयं ले सकती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। भारत में महिला रोजगार की बात बहुत कम होती है क्योंकि एक पुरूष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती कहीं भी यात्रा करना उसके लिये आसान होता है। जबकि महिलाओं को कार्य स्थल पर पालना घर या शिशुओं के लिये पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है। यही कुछ कारण है जिसमें भारत की महिला श्रमिक सहभागिता में पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर गिरावट आयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ज्यादा से ज्यादा महिलायें अगर श्रम में भागीदारी करें तो भारत की GDP दर बढ़ सकती है

महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत प्राप्त अधिकार

1 समान वेतन का अधिकार

2 कार्य स्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून

3 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार

4 संपत्ति पर अधिकार

5 गरिमा और शालीनता के लिये अधिकार

पाठ्यक्रम विवरण

विषय प्रारंभ – 1 जनवरी 2021

योग्यता – स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रायें

अवधि – 30 घन्टे

पाठ्यक्रम

व्याख्यान	समयावधि
➢ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा	2 घन्टे
➢ महिलाओं की स्थिति में गिरावट के कारण	2 घन्टे
➢ महिलाओं की समाज में भूमिका	2 घन्टे
➢ महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किये गये सरकारी व गैर – सरकारी प्रयास	2 घन्टे
➢ महिला सशक्तिकरण व अधिकार	2 घन्टे
➢ महिला सशक्तिकरण और दलित महिलायें।	2 घन्टे
➢ समूह चर्चा	2 घन्टे
➢ क्षेत्रीय कार्य	6 घन्टे
➢ डिजर्टेशन	10 घन्टे

फीस – 100 रुपये प्रति छात्रा

आयोजक

डॉ. आशा पाराशर
डॉ. रश्मि दुबे
डॉ. सजय खरे
(समाजशास्त्र विभाग)
शासकीय स्वशासी कन्या
स्नातकोत्तर उत्कृष्टता
महाविद्यालय, सागर

प्राचार्य

डॉ. बी.डी. अहिरवार
शासकीय स्वशासी कन्या
स्नातकोत्तर उत्कृष्टता
महाविद्यालय,सागर